



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240111
CG-DL-E-09112022-240111

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543]
No. 543]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/ कार्तिक 16, 1944
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/ KARTIKA 16, 1944

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 07 नवम्बर, 2022

फा. सं. 61-1/पी एण्ड एपी/7वां सीपीसी/2016-17.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10(i) तथा 10(v) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एतद्वारा अभातशिप (डिग्री) विनियम, 2019 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोजनीयता और प्रारंभ :

- क) इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् डिग्री स्तर की तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ जैसे पुस्तकालय, शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्मिकों की नियुक्ति के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और न्यूनतम अर्हताएं तथा तकनीकी शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए उपाय (संशोधन) विनियम, 2022 है।
- ख) ये ऐसी प्रत्येक तकनीकी संस्था और विश्वविद्यालय जिसमें मानित विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, पर लागू होंगे जो तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तथा अभातशिप द्वारा अनुमोदित अन्य पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों और परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित विषय-क्षेत्रों को संचालित कर रहे हैं।
- ग) ये भारत के राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

2. दिनांक 01 मार्च, 2019 को अधिसूचित राजपत्र अधिसूचना द्वारा जारी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) विनियम 2019 के पैरा 5.1 (ए) में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा :-

“बी.टैक (कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग) कार्यक्रम को पढ़ाने के लिए अभातशिप द्वारा इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित विद्यमान पात्रता के साथ-साथ कम्प्यूटर अनुप्रयोग में निष्णात (एमसीए) सहित कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में पीएचडी धारक अभ्यर्थी भी पात्र होंगे।”

उपरोक्त संशोधन को छोड़कर अन्य सभी बातें अपरिवर्तित रहेंगी।

प्रो० राजीव कुमार, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./366/2022-23]

**ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th November, 2022

F.No. 61-1/P&AP/7th CPC/2016-17.—In exercise of powers conferred upon this Council under sub-Section (i) of Section 23 read with Section 10 (i) and (v) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), this Council hereby makes following Regulations to amend the AICTE (Degree) Regulations 2019 namely: -

1. Short Title, Applications and Commencement:

- a) These regulations may be called the All India Council for Technical Education Pay Scales, Service Conditions and Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff such as Library, Physical Education and Training & Placement Personnel in Degree level Technical Institutions and Measures for the Maintenance of Standards in Technical Education (Amendment) Regulations, 2022.
- b) These shall apply to technical institutions and Universities including Deemed to be Universities imparting technical education and such other courses/ programmes approved by AICTE and areas as notified by the Council from time to time.
- c) They shall come into force with effect from the date of publication of this Gazette Notification

2. In the All India Council for Technical Education (AICTE) Regulations 2019 issued vide Gazette Notification dated 1st March 2019, in Para 5.1(a) the following shall be inserted, namely: -

“The candidates with Ph.D. in Computer Science & Engineering along with MCA are also eligible to teach B.Tech. (Computer Science & Engineering) programme along with existing qualifications as prescribed by AICTE for Assistant Professor in Engineering and Technology.”

All other things will remain unchanged except the above amendment.

Prof. RAJIVE KUMAR, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./366/2022-23]